न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,कोलायत

पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार (आर.ए.एस)

मि.न. 328 / 2019

1.हरदेवाराम उर्फ जयराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी जूनसिया तहसील फूलेरा हाल तहसीन किशनगढ नेनवाल जिला जयपुर हाल आबाद अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

--- प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार ।

--- अप्रार्थी

वकील प्रार्थी : रणजीतसिंह निर्बाण
स्टेट की और से पैरोकार राज उपस्थित

प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ऐक्ट। निर्णय दिनांक 05 / 12 / 2019

जरिये अधिवक्ता रणजीतसिह निर्बाण के प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से वाके रोही ग्राम अक्कासर के खेत ख0न0 12 में 0.12 हैक्टयर व ख0न0 13 में 1.46 हैक्टयर खातेदारी भूमि चली आ रही है जो कि प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06 / 06 / 2006 खरीद की गई तथा बाद भूमि खरीद के प्रार्थी के नाम से आराजी मुतनाजा दर्ज रिकार्ड राजस्व कर दी गई तथा वरवक्त बैयनामा के प्रार्थी का घरेलू नाम जयराम होने के कारण बैयनामा में जयराम लिख दिया गया था जबकि वास्तव में व मुताबिक रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जयराम के स्थान पर हरदेवराम है तथा प्रार्थी का नाम रिक़ार्ड राजस्व में जयराम दर्ज है जो भूलवश दर्ज रिकार्ड हो गया है जिसमें प्रार्थी अपने नाम की शुद्वी करवाकर जयराम के स्थान पर हरदेवराम करवाना चाहता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी को अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम जयराम लिखा है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्वावेज जिसमें प्रार्थी स्वंय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि हरदेवराम उर्फ जयराम दोनो नामो से जाना जाता है तथा उक्त दोनो नाम ऐक ही व्यक्ति के है व प्रार्थी द्वारा बतौर साक्ष्य के अपना आधार कार्ड , परिचय–पत्र व ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

लालासर पंचायत समिति सांभरलेव द्वारा जारी प्रमाण पत्र व राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किऐ प्रस्तुत किऐ गऐ है जिनका अवलोकन किया गया व पाया गया कि जयराम व हरदेवराम दोनो ऐक ही व्यक्ति है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ऐल0आर0ऐक्ट स्वीकार किया जाता है प्रार्थी का नाम रिकार्ड राजस्व में जयराम पुत्र लालूराम के स्थान पर हरदेवराम पुत्र लालूराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2019 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

-निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (२) कोलायत (बीकानेर)

(प्रदीपकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: